उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

रा0वि0आवेदन सं0 14/2005-06

असअदुल हक वगैरह

बनाम्

संतलाल रविदास वगैरह

–: आदेश :–

दिनांक	
22/09/17	वर्तमान वाद की प्रक्रिया आवेदक मु0 मजहरूल हक पे0–स्व0 शरफूदिदन सा0 दिग्घी थाना–महागामा जिला–गोड्डा के आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। प्रक्रिया चलने के दौरान आवेदक की मृत्यु होने के कारण उनके पुत्र असहदुल हक को प्रतिस्थानी पक्षकार बनाया गया। आवेदक का आवेदन है कि भूत–पर्व जमीनदार के द्वारा दिये गये अमलनामा के आधार पर आवेदक मौजा दिग्घी खाता सं0–135 दाग न0 32 रकवा 00–14–14 धुर जमीन पर भौतिक रूप से लगातार दखलकार चले आ रहे हैं एवं उस आधार पर कुछ जमीन पर वे फसल उपजाते हैं तथा शेष अन्य जमीन पर बगीचा लगाये हुए हैं। लेकिन हाल में विपक्षी संतलाल रविदास की ओर से अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में आवेदन दिया गया कि उक्त जमीन उन्हें बंदोवस्ती केश नं0–73/79–80 से बंदोवस्ती मिला है तथा उक्त जमीन पर उन्हें दखल दिहानी दिलाने के लिए अनुरोध किया। विपक्षी के आवेदन पर रा0 वि0 वाद सं0 63/05–06 संधारित किया गया। विपक्षी ने दाखिल आवेदन में स्वयं स्वीकार किया कि उक्त जमीन उनके दखल में नहीं है और उन्होंने दखल दिलाने लिए अनुरोध किया है। उनका आगे आवेदन है कि संथाल परगाना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत बंदोवस्त जमीन को समय सीमा के अंदर जोत–आबाद एवं दखल में लेना आवश्यक है। जबकि सत्य यह है कि उक्त जमीन आवेदक के दखल में लगातार लम्बी अवधि से चला आ रहा है। जबकि विपक्षी का दावा गलत आधारहीन एवं धोखाघड़ी से आधारित है। उन्होंने निम्न न्यायालय के रा0 वि0 वाद सं0 63/05–06 को मंगाकर उचित आदेश पारित करने के लिए अनुरोध किया है। इस सम्बंध में अंचल अधिकारी महागामा के पत्रांक–728/रा0 दिनांकः– 15.12.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–दिग्घी, थाना नं0–441, गैरमजरूआ खाता सं0–135, दाग नं0–32 खतियानी रकवा 00–14–14 धूर किस्म परती कदीम गेंजर सर्वे खतियान में

दर्ज है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोवस्ती केश नं0–73/1979–80 आदेश दिनांक 17.08.1982 के द्वारा मौजा–दिग्घी थाना नं0–441, गैरमजरूआ खाता सं0–135, दाग नं0–32 खतियानी रकवा 00–14–14 धूर किस्म परती कदीम भूमि श्री संतलाल रविदास, पे0–सुकूल रविदास को बंदोबस्ती में प्राप्त हुआ है, जिसका लगान वर्ष–2014–15 तक भुगतान किया गया है। बंदोवस्ती के बाद से आज तक श्री संतलाल रविदास पिता–स्कूल रविदास के द्वारा जमीन को जोत आबाद नहीं किया जा रहा है।

विज्ञ सरकारी वकील का मंतव्य प्राप्त है। विज्ञ सरकारी वकील का मंतव्य है कि विपक्षी अनुसूचित जाति के सदस्य है एवं पूर्णरूप से भूमिहीन है तथा अंचल अधिकारी महागामा के प्रतिवेदन के आधार पर उनके साथ परती कदीम जमीन की बंदोवस्ती की गयी है और उसपर विपक्षी को दखल दिहानी दिलाया गया है। इसलिए आवेदक का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। उन्होंने आवेदक के आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि मौजा दिग्घी थाना न0–441 गैरमजरूआ खाता नं0–135 दाग नं0–32 रकवा 00–14–14 धुर जमीन किस्म परती कदीम कहकर गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। आवेदक ने उक्त जमीन पर अमलनामा के आधार पर दावा किया है एवं आवेदक द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा के न्यायालय को बताया गया था कि मामला उच्चत्तर न्यायालय में लंबित है। लेकिन उच्चत्तर न्यायालय के वाद लंबित है, के संबंध में अपीलकर्त्ता द्वारा कोई भी कागजात जमा करने में सक्षम नहीं है। जबकि अंचल अधिकारी, महागामा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उक्त जमीन विपक्षी संतलाल रविदास के साथ बंदोवस्ती केश नं0–73/79–80 आदेश दिनांक 17.08.82 के द्वारा की गयी है। ऐसी स्थिति में आवेदक का आवेदन स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक का आवेदन खारिज किया जाता है। यदि दखल दिहानी का मामला निम्न न्यायालय में लंबित है तो अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को आदेश दिया जाता है कि उसमे कार्रवाई करते हुए दो माह के अंदर दखल दिहानी दिला कर अनुपालन से न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

लिखवाया एवं शुद्ध किया।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 16:38:40 +05:30
Location: 192.168.29.8

22/09/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

RMA No.35-2020-21

22/09/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

डी0 नं0–156
22–09–2021